



कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय
समूह कोटा



क्रमांक:- प.3()/अकेड-1/2021/338

दिनांक: 17.04.2021

कार्यालय आदेश

इस संस्थान के छात्र/छात्राओं के निरन्तर कोविड पॉजिटिव पाए जाने के कारण महाविद्यालय में शिक्षण एवं प्रसिक्षण कार्य नियमित विद्यार्थीओं की उपस्थिती में कक्षाओं के संचालन द्वारा सम्भव नहीं है। क्योंकि इससे कोरोना वाईरस का संक्रमण फैलने की सम्भावना है। एसी परिस्थिती में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिपत्र क्रमांक F 8 () Covid 19/Academic -II/RUHS/2020/156 दिनांक 11.04.2020 से जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में इस महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को आदेशित किया जाता है की विद्यार्थीओं के अद्ययन के लिए यथासम्भव ऑनलाईन लैक्चर तथा ई-लर्निंग व्यवस्थाओं से सैधान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करेंगे। ताकी विद्यार्थीओं की पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे एवं उनके समय का सदुपयोग हो सके।

(डॉ० विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
दिनांक: 17.04.2021

प.3 ()/अकेड/2021/ 338

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० निदेशक(प्रशा०) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय मेडिकल कॉलेज कोटा।
4. मुख्य प्रभारी अधिकारी, अकेडमिक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. चैयरमैन/कोर्डिनेटर, एम.ई.यु., मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. समस्त विभागाध्यक्ष को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल को भेज कर लेख है कि समस्त विभागाध्यक्षों को ऑनलाईन लैक्चर तथा ई-लर्निंग व्यवस्थाओं सहयोग प्रदान करें एवं आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. नोटिस बोर्ड/समस्त यु.जी. हॉस्टल्स

(डॉ० विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक